सुन्नत यह है कि जब आदमी पत्नी रहते हुए किसी कुँवारी से विवाह करे , तो उसके पास सात दिन रहे और उसके बाद बारी लगाए तथा जब किसी ग़ैरकुँवारी से विवाह करे , तो उसके पास तीन दिन रहे और उसके बाद बारी लगाए।

अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अंहु) कहते हैं ः सुन्नत यह है कि जब आदमी पत्नी रहते हुए किसी कुँवारी से विवाह करे , तो उसके पास सात दिन रहे और उसके बाद बारी लगाए तथा जब किसी ग़ैरकुँवारी से विवाह करे , तो उसके पास तीन दिन रहे और उसके बाद बारी लगाए। अबू क़िलाबा कहते हैं ः यदि मैं चाहूँ , तो कह सकता हूँ कि अनस (रज़ियल्लाहु अंहु) ने इस हदीस को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से रिवायत किया है।

[सहीह] [इसे बुख़ारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।]

http://sunnah.global/hadeeth/hi/show/58126